



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 62]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2007/माघ 24, 1928

No. 62]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2007/MAGHA 24, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2007

सा.का.नि. 79(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम सं. 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम सं. 38) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) और उप-खण्ड (i) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, नीचे दर्शाई जा रही तालिका के कॉलम सं. (3) में क्रम सं. 9 और 10 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या आशोधित करती है और कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड के बारे में भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पोत परिवहन विभाग के पत्तन स्कंध की दिनांक 29 मार्च, 2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 187 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है :

## तालिका

क्रम सं.	प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित	व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें नियुक्त किया जाना है
(1)	(2)	(3)
9.	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) में परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि ।	5
10.	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग) (ii) (4) में परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि ।	3

[फा. सं. पी. टी.-18011/8/2005-पीटी]

अजय कुमार भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2007

G.S.R. 79(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the powers conferred by clause (c) of Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby modifies the number of persons mentioned in column (3) of the Table below against serial Number 9 and 10 and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping (Ports Wing) No. G.S.R. 187(E) dated the 29th March, 2006 on the Board of Trustees for the Port of Kandla.

## TABLE

Sl. No.	Interests to be represented	Number of persons to be appointed
(1)	(2)	(3)
9.	Other interests as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of Major Port Trusts Act, 1963	5
10.	Other interests as envisaged under Section 3(1)(c)(ii)(4) of Major Port Trusts Act, 1963	3

[F. No. PT-18011/8/2005-PT]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2007

सा.का.नि. 80(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम सं. 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयुक्त करके, तथा भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पोत परिवहन विभाग के पत्तन स्कंध की दिनांक 3-10-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 615(अ) के साथ पठित दिनांक 2-5-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 266(अ), दिनांक 23-5-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 306(अ), दिनांक 7-6-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 350(अ), दिनांक 20-6-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 371(अ), दिनांक 30-6-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 391(अ) और दिनांक 14-7-2006 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 424(अ) के क्रम में केन्द्रीय सरकार, नीचे दर्शाई जा रही तालिका में क्रम सं. 15 के बाद निम्नलिखित को एतद्वारा, कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है :

## तालिका

16. श्री अश्विनभाई चिमानभाई शाह, उदय बंगला, गोत्री, बड़ोदा-390021	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) में परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि।
17. श्री बाबलदास शंकरदास पटेल, ए. सूर्य केतु टॉवर, संभव प्रैस के निकट, बोदकदेव, अहमदाबाद-380015	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग)(i)(7) में परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि।

[फा. सं. पी. टी.-18011/8/2005-पीटी]

अजय कुमार भल्ला, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2007

G.S.R. 80(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-section (1) read with Sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping (Ports Wing), No. G.S.R. 266(E) dated 2-5-2006, No. G.S.R. 306(E) dated 23-5-2006, No. G.S.R. 350(E) dated 7-6-2006, No. G.S.R. 371(E) dated 20-6-2006, No. G.S.R. 391(E) dated 30-6-2006, No. G.S.R. 424(E) dated 14-7-2006, read with No. G.S.R. 615(E) dated 3-10-2006, the Central Government hereby appoints the following as trustee after serial number 15 of the said notification on the Board of Trustees for the Port of Kandla.

## TABLE

16. Shri Ashwinbhai Chimanbhai Shah, Uday Bungalow, Gotri, Baroda-390021.	Representing "Other Interests" as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963.
17. Shri Babaldas Shankardas Patel, A. Surya Ketu Towers, Near Sambhav Press, Bodakdev, Ahmedabad-380015.	Representing "Other Interests" as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963.

[F. No. PT-18011/8/2005-PT]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.